न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : 05 / 2023

उनवान:- किलाश देवी बनाम मनोहर

आज दिनांक 21/8/24 [illegible] हुई। अभिभाषक [illegible] / [illegible] बहिष्कार / [illegible] [illegible] कार्य, न्यायिक कार्यवाही [illegible] पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त / [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/11/24 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 7/11/24 को पेश हुई वकील प्रार्थी–अभि. / वादी–प्रतिवादी उपस्थित हुए। पत्रावली मुख्य कार्यपालक / अधि. / कार्य. / पा.जयपुर / [illegible] पूर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 3/12/24 को पेश हो।

03/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 व 1 की Reg. Ad. तामील जारी किए हुए एक माह से अधिक का समय हो चुका है अतः तामील की प्रत्याभरण मानते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी सं. 2 की बहस T.I. पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय प्रस्तावपत्र व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकामा हेतु पेश किया गया है। मूलवाद में निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सोगांव से विभाजन प्रस्ताव चाहे गए हैं मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीपात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते हैं जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 11/01/2022 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर दर्ज रजिस्टर में क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/12/24 को सुनाया गया।

G.

Scanned with OKEN Scanner